राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांक : प. 9 (3)शिक्षा–5/आरटीई दिशा निर्देश 2019–20/2019 जयपुर दिनांक 02/03/19

निदेशक,
प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर।

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार समस्त गैर–सरकारी संस्थाओं में शैक्षिक सत्र 2019–20 से प्रभावी प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार समस्त गैर–सरकारी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क प्रवेश, भौतिक सत्यापन व फीस के पुनर्भरण हेतु पूर्व में दिनांक 02.02.2018 को जारी दिशा–निर्देश ही शैक्षिक सत्र 2019–20 में टाइम फ्रेम में आवश्यक संशोधन करते हुए पूर्ववत प्रभावी माने जायेंगे। इस संबंध में निम्नांकित कार्यवाही की जानी है :–

1. व्यापक प्रचार–प्रसार की दृष्टि से इन दिशा–निर्देशों के आरटीई वेब–पोर्टल पर एनआईसी के माध्यम से अपलोड करावें।
2. एनआईसी से सम्पर्क कर आरटीई वेब–पोर्टल पर उक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करावें।
3. दिशा–निर्देशों के संबंध में टाईम फ्रेम आदि के लिए आवश्यक विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित करावें जिससे सभी गैर–सरकारी शैक्षिक संस्थाओं, अभिभावक एवं संबंधित अधिकारियों को अविलम्ब जानकारी मिल सकें।
4. प्रवेश, भौतिक सत्यापन एवं फीस के पुनर्भरण की नियमित मॉनिटरिंग करावें जिससे शैक्षिक सत्र 2019–20 में उक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार समस्त गतिविधियाँ समय पर सम्पादित की जा सकें ।

संलग्नः– दिशा–निर्देश।

भवदीय

www.rajteachers.com

02/03/19
(महेश कुमार गेरयानी)
शासन उप–सचिव

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/प्रारं/पीएसपी/आरटीई निःशुल्क प्रवेश/18878/17–18/ 112 दिनांक– 03/3/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु–

01. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, शिक्षा संकुल, जयपुर।
02. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
03. राज्य समन्वयक, पीएसपी सैन्ट्रल सेल, शिक्षा संकुल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वे उक्तानुसार पोर्टल पर कार्यवाही सन्पादित करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
04. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान समस्त जिले।
05. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, समस्त जिले को निर्देशित किया जाता है कि वे बिन्दु संख्या तीन व चार की अनुपालना सुनिश्चित करावें।

O/C

उप निदेशक(आरटीई)
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/प्रारं/पीएसपी/आरटीई निःशुल्क प्रवेश/18878/17–18/ दिनांक–

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के संबंध में

सार्वजनिक सूचना

(1) गैर सरकारी विद्यालयों के लिए

- शैक्षिक सत्र 2019–20 के लिए गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के संबंध में राज्य सरकार ने विस्तृत दिशा निर्देश दिनांक 02.03.2019 को जारी कर दिये हैं, जो स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के प्राइवेट स्कूल पोर्टल (**www.rajpsp.nic.in**) पर उपलब्ध हैं। विद्यालयों को प्रवेश संबंधी समस्त कार्य इन दिशा निर्देशों के अनुसार ही सम्पन्न करने हैं।
- गैर सरकारी विद्यालयों के लिए प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर पंजीकरण एवं आवश्यक प्रविष्टियॉ करना अनिवार्य एवं बाध्यकारी है। इस पोर्टल पर पहले से पंजीकृत विद्यालयों को पुनः पंजीकरण नहीं करना है।
- पोर्टल पर पंजीकृत सभी गैर–सरकारी विद्यालयों को अपनी विद्यालय प्रोफाइल को पुनः जॉच कर अनिवार्यतः अपडेट करना है। विद्यालय प्रोफाइल में विद्यालय की ग्राम पंचायत/शहरी स्थानीय निकाय, ग्राम/वार्ड, विद्यालय में शिक्षण का माध्यम, एण्ट्री कक्षा, अल्प संख्यक स्थिति इत्यादि की सावधानी पूर्वक जॉच कर लॉक करना है। आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ होने के बाद प्रोफाइल में कोई बदलाव संभव नहीं होगा। विद्यालय प्रोफाइल में दिखाई गई सूचनाओं में से शिक्षण का माध्यम, विद्यालय के नाम एवं स्थान में परिवर्तन के लिए सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क करें तथा मान्यता की प्रति के आधार पर आवश्यक संशोधन करवाये।
- विद्यालयों को उनकी एन्ट्री लेवल कक्षा में प्रविष्ट कुल बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत की सीमा तक ''कमजोर वर्ग'' एवं ''असुविधाग्रस्त समूह'' के उसी कैचमेन्ट एरिया में निवास करने वाले बालकों को ही निःशुल्क प्रवेश देना होगा।
- केन्द्रीयकृत ऑनलाइन लॉटरी द्वारा वरीयताक्रम निर्धारण के बाद अभिभावकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं रिपोर्टिंग पत्र मय समस्त सम्बन्धित दस्तावेज प्राप्त कर, बालकों को प्रवेश देने से पूर्व पात्रता की सावधानीपूर्वक पुनः जॉच कर लें तथा अभिभावकों से प्राप्त सहमति के आधार पर विद्यालय में प्रवेश दें।
- लाटरी उपरान्त आवेदन पत्र का प्रिंट मय संलग्नक प्राप्त होने पर प्रवेश देते समय बालक के ग्राम/वार्ड की गहनता से जॉच कर लें। ऑनलाइन आवेदन एवं संलग्न दस्तावेजों की सूचनाओं में अंतर पाये जाने पर आवेदन को निरस्त कर दें।
- विद्यालयों को प्रवेश संबंधी समस्त कार्यवाही निम्नांकित टाइम फ्रेम के अनुसार पूरी करनी है :–

क्र.सं.	विवरण/गतिविधि	टाइमफ्रेम	दायित्व निर्धारण
1	अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना	15.03.2019 तक	संबंधित अभिभावक
2	ऑन लाईन लाटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालकों का वरीयता क्रम निर्धारण	19.03.2019	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
3	अभिभावकों द्वारा लॉटरी उपरान्त इच्छित विद्यालय में मय आवेदन प्रपत्र एवं संलग्नकों के साथ उपस्थित होकर प्रवेश हेतु रिपोर्ट करना।	29.03.2019 तक	संबंधित अभिभावक
4	लाटरी द्वारा चयनित एवं निर्धारित समय सीमा में रिपोर्ट करने वाले पात्र बालकों का विद्यालय में प्रवेश	30.03.2018 से	संबंधित निजी विद्यालय
5	निःशुल्क प्रवेशित बालकों एवं शेष 75 प्रतिशत सीटों पर प्रवेशित बालकों की प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर एन्ट्री	31.07.2018 तक	संबंधित निजी विद्यालय

2) अभिभावकों के लिए

- गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश हेतु बालक ''दुर्बल वर्ग'' या ''असुविधाग्रस्त समूह'' से संबंधित होना चाहिए।
- ''दुर्बल वर्ग'' में वे बालक सम्मिलित हैं, जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 1.00 लाख रूपये से अधिक नहीं है।
- ''असुविधाग्रस्त समूह'' में अनुसूचित जाति के बालक, अनुसूचित जनजाति के बालक, अनाथ बालक, एचआईवी/केंसर से प्रभावित बालक अथवा एचआईवी/केंसर से प्रभावित माता–पिता/संरक्षक के बालक, युद्ध विधवा के बालक एवं निःशक्तजन बालक, ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम बीपीएल सूची में हैं तथा पिछड़ा वर्ग अथवा विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 1.00 लाख रूपये से अधिक नहीं है, सम्मिलित हैं।
- अभिभावक अपने कैचमेंट एरिया (ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में शहरी स्थानीय निकाय) के किसी भी विद्यालय में ऑन लाईन आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश में वरीयता ग्रामीण क्षेत्र में उस ग्राम तथा शहरी क्षेत्र में उस वार्ड के बालकों को दी जायेगी जिसमें विद्यालय स्थित है।
- प्रवेश हेतु आवेदन ऑनलाइन तरीके से करना है। ऑनलाइन आवेदन हेतु अभिभावक स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के प्राइवेट स्कूल पोर्टल (**www.rajpsp.nic.in**) पर आरटीई के अंतर्गत प्रवेश बटन का उपयोग कर ऑनलाइन आवेदन के विकल्प का चयन करें। पोर्टल पर आवश्यक सूचनाओं की प्रविष्टि कर प्रवेश की योग्यता की जॉच करें तथा योग्य पाये जाने पर विस्तृत सूचनाऐं प्रविष्ट करें।
- सूचना प्रविष्टि के बाद इच्छित विद्यालयों का चयन करें तथा आवेदन को लॉक कर दें।
- राज्य के किसी भी गैर–सरकारी विद्यालय की सामान्य जानकारी प्राप्त करने के लिए पोर्टल पर उपलब्ध ''विद्यालय विवरण जानें'' टेब का उपयोग किया जा सकता है।
- अभिभावकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु मोबाइल एप की सुविधा भी दी गई है। इसके लिए मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से **''राजस्थान प्राइवेट स्कूल एप''** डाउनलोड करें तथा इसमें सूचनाओं की प्रविष्टि कर आवेदन को लॉक कर दें।
- ऑनलाइन लॉटरी द्वारा वरीयता सूची जारी होने के बाद आवेदन पत्र का प्रिंटआउट मय आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर दिनांक 29.03.2019 तक प्रवेश हेतु इच्छित विद्यालय में रिपोर्ट करना है। विद्यालय से रिपोर्टिंग की रसीद भी प्राप्त करनी होगी। निर्धारित तिथि तक अभिभावक द्वारा रिपोर्ट नहीं करने पर विद्यालय द्वारा बालक के प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं
पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग
राजस्थान बीकानेर

www.rajteachers.com